# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 12/2016 (225 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. प्रेमबाई पुत्री साधूसिंह जाति राजपूत।
2. तेजसिंह पुत्र उमराव सिंह जाति राजपूत।
3. मुंशीसिंह पुत्र उमरावसिंह जाति राजपूत निवासीयान बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

.....वादीगण/ अपीलांटान

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश अलवर राज0।
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार थानागाजी तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
3. ग्राम पंचायत बसई जोगियान जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत बसई जोगियान पंचायत समिति थानागाजी जिला अलवर राज0।
4. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती सोनी बेवा पीरूसिंह जाति राजपूत
5. बंशीसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती सोनी बेवा पीरूसिंह जाति राजपूत
6. धर्मसिंह पुत्र स्व0 श्रीमती सोनी बेवा पीरूसिंह जाति राजपूत निवासीयान ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
7. कबूलदेवी पुत्री स्वर्गीय स्व0 श्रीमती सोनी बेवा पीरूसिंह जाति राजपूत स्त्री प्रहलादसिंह निवासी ठीकरिया तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
8. गुलाबदेवी पुत्री स्वर्गीय श्रीमती सोनी बेवा पीरूसिंह जाति राजपूत स्त्री महादेव सिंह निवासी बामनवास छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0 (मृतक)

8/1. लीलू सिंह पुत्र गुलाब देवी एवं महादेव सिंह राजपूत निवासी बामनवास छिपारी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

8/2. फूली देवी पुत्री गुलाब देवी एवं महादेव सिंह स्त्री छाजूसिंह राजपूत निवासी बासना तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

9. संजना पुत्री स्वर्गीय श्रीमती सोनी बेवा पीरूसिंह जाति राजपूत स्त्री श्रवणसिंह निवासी बागावास तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0

.....असल रेस्पो0 प्रतिवादीगण

10. सुप्यार स्त्री अमरसिंह पुत्री उमरावसिंह जाति राजपूत
11. रज्जो स्त्री धीरसिंह पुत्री उमरावसिंह जाति राजपूत
12. केसर स्त्री लक्ष्मणसिंह पुत्री उमरावसिंह जाति राजपूत निवासीयान बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

.....तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
1.श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलांट।
2.श्री दाताराम गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–05.12.2019

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 09.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 98 रकबा 1.98 है0 ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 में स्थित है जिसकी बाबत् वादी अपीलांट ने एक दावा इस्तकरारहक व दुरूस्ती इंद्राज का तहत अदालत में प्रस्तुत किया था। जिसके विचारण के दौरान प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 03 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नही किया है जिससे वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण खातेदार घोषित करा सके या खातेदार हो, उनकी काश्त रही हो अपितु विवादित आराजी बंजड व मटियार एवं गैरमुमकिन नला होना जमाबंदी में दर्ज है व सिवायचक भूमि होना बताया गया है। यह उल्लेखनीय है कि विवादित खसरा नंबर में से तीन बीघा आराजी का प्रतिवादी श्रीमती सोना देवी को सिवायचक भूमि मान कर अलोटमेंट किया जाकर अन्तोदय फैमिली योजना के अंतर्गत आवंटित कर कब्जा सरकार द्वारा दिनांक 25.07.1978 को दिया जा चुका है जो दावा वादी द्वारा करने से 10 साल पूर्व की स्थिति है। इसी प्रकार बाकी आराजी विवादित जो कि सिवायचक है को राजकीय उपयोग प्रयोजनार्थ आरक्षित किया हुआ है जिसमें एक बीघा भूमि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 थानागाजी द्वारा 33/11 के0वी0 जी एस एस बनाने के लिये उपलब्ध कराने को ग्राम पंचायत बसई जोगियान को बारम्बार लिखा जा रहा है। विवादित आराजी में से श्रीमती सोना देवी तीन बीघा आराजी के अलावा बाकी भूमि राजकीय सिवायचक की राजकीय उपभोग प्रयोजनार्थ आरक्षित आराजी है उस पर किसी भी प्रकार वादी के कोई अधिकार नही है वादी ने दावे के मूल आधार अपना कब्जा होना बताकर दावा पेश किया है जिस तथ्य का किसी भी दस्तावेजी सबूत से होना नही पाया जाता है साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अनुकरण में स्पष्ट रूप से भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के जर्ये स्वामित्व अधिकार अर्जित नही होते हैं। प्रतिकूल कब्जा किसी अतिचारी अपकृत्य के दोषी व्यक्ति या विधि में किसी अपराध में भी ऐसी भूमि के वैध स्वत्व को हासिल करने की तार्किक व नैतिक रूप से अधिकार प्रदान नही करता है उन्हें कोई कानूनी संरक्षण नही मिल सकता है वादी को दावा करने का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नही होता है। कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नही होता है वादी का वाद विधि विरूद्ध है। प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का जबाव एवं प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 जाब्ता दीवानी कल्याणसिंह नामक व्यक्ति ने पेश किया है जो दावा में किसी भी हैसियत से पक्षकार नही है यानि वह वादी अथवा प्रतिवादी पक्ष में पक्षकार नही है। जब यह दावा में पक्षकार ही नही है तो उसे यह प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई वैध अधिकार नही है यानि वह प्रार्थना



राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

पत्र पेश नही कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध है। जिस दावा को तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 09.02.2016 के आधार पर प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 03 द्वारा आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर गलत तौर पर वादी अपीलांट व तरतीबी रेस्पो0 प्रतिवादीगण का दावा खारिज कर दिया जिस निर्णय दिनांक 09.02.2016 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब कर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी अपीलांट ने अपना जो दावा तहत अदालत में पेश किया था वह हमारे द्वारा पेश जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी के जबाव का पेरा संख्या 02 में स्पष्ट कहकर आये हैं कि विवादित आराजी वादीगण के बुजुर्ग पिता स्व0 साधूसिंह व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता स्व0 उमरावसिंह के बहिस्से बराबर कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो उनके कब्जे काश्त में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने की दिनांक 15.10.1955 यानि संवत 2012 से पूर्व चली आ रही है और बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने की दिनांक 15.11.1959 यानि संवत 2016 में भी उनका ही यानि स्व0 साधूसिंह व स्व0 उमरावसिंह का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था। बंदोबस्त संवत 2028 घोषित हुआ तब सैटलमेंट के कर्मचारीयान ने गलती से मौके व कब्जे व गत रिकार्ड के खिलाफ सिवायचक लगानी का इन्द्राज कर दिया जिन्हें ऐसा करने का विधिक अधिकार नही था जिसकी जानकारी होते ही वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने दावा पेश कर दिया व दावे के साथ वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2014, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2011 लगायत 2032 तक की पेश की जिनमें स्पष्ट रूप से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय साधूसिंह व स्वर्गीय उमरावसिंह के नाम का अंकन कृषक खातेदार की हैसियत से बदस्तूर चला आ रहा है। बंदोबस्त के कर्मचारीयान ने सिवायचक का इन्द्राज गलत मौके व कब्जे व गत रिकार्ड के खिलाफ कर दिया था जिसके बाद प्रतिवादनी श्रीमती सोनी को गलत रूप से आवंटन कर दिया जबकि कब्जा विवादित आराजी पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण आज तक चला आ रहा है। अलोटी सोनी अथवा अन्य किसी का कोई कब्जा विवादित आराजी पर कभी भी नही रहा है और ना है। वादीगण ने अपने अधिकारों की घोषणा के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 के तहत इदावा विधि अनुसार सही किया है। वादीगण ने अपना दावा प्रतिकूल कब्जे (एडवर्स पजेशन) के आधार पर पेश नही किया हैं। विवादित आराजी पर वादीगण अपीलांटान के बुजुर्ग पिता स्व0 साधूसिंह व तरतीबी प्रतिवादीगण रेस्पो0 के पिता स्व0 उमरावसिंह का कब्जा बहिस्से बराबर बदस्तूर काबिज चले आने के कारण अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराने तथा बंदोबस्त संवत 2028 एवं उसके बाद की बनी हाल तक की जमाबंदियों में जो अंकन सिवायचक का सेटलमेंट कर्मचारीयान द्वारा मौके व कब्जे व गत रिकार्ड के खिलाफ गलत किया है वह वादी अपीलांटान व तरतीबी रेस्पो0 के हकूकों के मुकाबले बातिल बेअसर व कलमजन कराने व वादी अपीलांटान व तरतीबी रेस्पो0 का नाम विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार की हैसियत से अंकन कराये जाने व डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी रेस्पो0 असल के खिलाफ प्राप्त करने का पेश किया था जिसका जबाव प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 1–2 ने पेश कर दिया था। उसके बाद प्रकरण कायमी तनकीयात के लिये चल रहा



राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

था कि एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाब्ता दीवानी का रेस्पो0 प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 9 की माता स्व0 सोनी ने दावा में पक्षकार बनने हेतु पेश किया और एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 जाब्ता दीवानी का ही रेस्पो0 प्रतिवादी संख्या 3 ने पेश किया जिन दोनों प्रार्थना पत्रों को अदालत तहत ने स्वीकार करके दावा प्रतिवादी की जैल में पक्षकार बना दिया जिनके जबाव हेतु पत्रावली चल रही थी कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी थानागाजी ने अपनी स्वयं की इच्छा से कि इस दावा में तत्कालीन तहसीलदार पैरोकार सरकार की हैसियत से मेरे द्वारा जबाव पेश किया गया है इसलिये मैं इसकी सुनवाई नही कर सकता इसे अन्य न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जावे, ऐसा निवेदन कलक्टर साहब के यहां करने पर प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां भिजवा दिया।उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां पत्रावली आने पर वादी व प्रतिवादी की तामील के लिये प्रकरण चल रहा था जिस पर वादीगण की ओर से वादीगण अपीलांट उपस्थित हो गये थे प्रतिवादीगण में से केवल प्रतिवादी संख्या 3 ग्राम पंचायत ही उपस्थित हुई बाकी की तलबी में फाईल चल रही थी। प्रतिवादी संख्या 3 ने भी अपना कोई जबाव दावा पेश नही किया और सीधे ही प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी का पेश किया था जिसे तहत अदालत ने बेजा व विधि विरूद्ध स्वीकार करके वादी अपीलांट का दावा खारिज कर दिया जबकि तहत अदालत को दावा का जबाव दावा लेने के बाद उसमें अंकित ऐतराज पर विचारणीय बिंदू तनकीयात कायम करके उभय पक्षकारान की साक्ष्य लेकर ही दावा का न्यायोचित निर्णय करना चाहिये था क्योंकि वाद में विषय वस्तु लॉ एवं फैक्टस मिश्रित बिंदू तय होने के कारण दावा में साक्ष्य आने पर ही मैरिटस पर निर्णीत किया जा सकेगा जिस संबंध में वादी अपीलांट के वकील द्वारा माननीय राजस्व मंडल, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों में तय किये हैं के बारे में अनेकों नजीरें भी पेश की थी जिन्हें तहत अदालत ने अपने निर्णय में अंकित भी किया है।

अधिवक्ता अपीलांट में बहस जारी रखते हुये कथन किया कि विधि अनुसार प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 3 को आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार ही नही है। तहत अदालत द्वारा मात्र कब्जे के आधार पर राजकीय आराजी पर कोई भी अतिक्रमी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है, ऐसा विचार कर प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी स्वीकार कर वादी अपीलांट का दावा गलत खारिज किया है। वादी अपीलांट का दावा सन 1988 से विचाराधीन है और यह प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र 27 साल के लम्बे अर्से के बाद पेश किया है जो लैटर स्टेज पर पेश करने के कारण कानूनन चलने योग्य नही था। बहस के अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 09.02.2016 अपास्त फरमाया जाने एवं प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 03 का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज फरमाने एवं वादी अपीलांटान का दावा जबाव लेने के बाद तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षों की साक्ष्य ली जाकर गुणावगुण पर मैरिटस पर निस्तारित करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जबाव में अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस के दौरान कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 98 रकबा 1.98 है0 ग्राम बसई जोगियान तहसील थानागाजी जिला अलवर में स्थित है। जो पूर्व में संपूर्ण सिवायचक रकबा था। जिसमें से सन 1978 में तीन बीघा आराजी रेस्पो0 श्रीमती



राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज0)

सोना देवी को आवंटित कर दी गई जिसका आवंटन माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा सही करार दिया गया। शेष रकबा आज भी सिवायचक है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय एवं जन उपयोगी कार्य हेतु आरक्षित किया हुआ है जिसे विवादित की संज्ञा गलत दी हुई है।

बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पो0 ने आगे तर्क किया कि कथित विवादित आराजी सिवायचक सरकारी भूमि होने के आधार पर सन 1978 में तीन बीघा आराजी का आवंटन अन्तोदय के तहत रेस्पो0 सोना देवी को किया गया है।प्रार्थी अपीलांट कथित विवादित आराजी के ना तो खातेदार हैं ना गैर खातेदार और ना ही उन्हें सक्षम अदालत ने डिक्री दी है और ना ही सक्षम अधिकारी के आदेश से उन्हें प्राप्त हुई है बल्कि अपीलांट विवादित आराजी से गैर वास्ता है। दो बंदोबस्त गुजर जाने के बाद वादी प्रार्थी का दावा बेमायना है।बंदोबस्त से पूर्व व संवत 2028 में भी विवादित आराजी सिवायचक है व नला, रास्ते आदि की भूमि रही है।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपील के तथ्य तथा वाद के तथ्यों का अवलोकन किया गया और तहत न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2016 का अवलोकन किया गया ।

प्रार्थी का हित कोई हित नही है। अतः उसका प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश करने का कोई आधार नही बनता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद में वर्णित कथन ही आदेश 07 नियम 11 के तहत दायर प्रार्थना पत्र के निवारण का आधार होगा।

लम्बित वाद में दायर आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र रेस्पो0 यह सिद्ध करने में असफल रहे कि वाद का कौनसा कथन विधि बाधित है।

वाद में साक्ष्य को रिकार्ड पर लेने के बाद ही निर्णय करना चाहिये। इस स्तर पर वाद के कथनों पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिये।

आर.एल.डबल्यू 2011(2)राज. 1291 सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 07 नियम 11 के तहत आवेदन पत्र पर परीक्षण करने की अवस्था में विचारण न्यायालय द्वारा जिस विषय सामग्री का अनुसंधान करना आवश्यक होता है, अभिनिर्धारित वाद पत्र के निरस्तीकरण हेतु सीपीसी के आदेश 07 नियम 11 के तहत जब आवेदन पत्र दायर किया जाता है उस अवस्था में न्यायालय को इस बात का परीक्षण करना होता है कि क्या स्वयं वादपत्र में उल्लेखित तथ्यों पर आधारित विषय का परीक्षण करने की न्यायालय को अधिकारिता है और आगे किसी समर्पित सामग्री के अनुसंधान की आवश्यकता नही होती?

आर.एल.डबल्यू 2007(2) 999 वादी की पोषणीयता संबंधी बिंदु तो केवल जबावदावा पेश करने एवं विवाधक विरचित करने के बाद ही विनिश्चित किया जा सकता है। वह पोषणीयता है या नही इस प्रश्न का विनिश्चय विवाधक विरचित करने के बाद और विवाधकवार उनका विनिश्चय करने के बाद ही किया जा सकता है।

वादपत्र के प्राक्कथनों से ऐसा कोई निष्कर्ष नही निकलता है जिसे आदेश 07 नियम 11 के 05 घटक में से एक भी हो।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 09.02.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहत अदालत उपखण्ड अधिकारी अलवर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)

कि वाद में जबावदावा के आधार पर, विवाधक विरचित करने व साक्ष्य के आधार पर विवाधकवार विनिश्चय करें। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5.12.19

(हरि राम मीना),
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर (राज०)